

परिशिष्ट 10
प्रपत्र - 2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम-17 को हटके

4-मेल

दस्तावेज
कैवला

कार्यालय मुख्य शिक्षा नैनीताल, उत्तराखण्ड

प्रमाण - 12984

दिनांक 30-3-13

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रधानक
कवीस पब्लिक स्कूल
हल्द्वानी

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

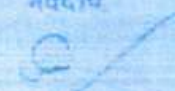
महोदय / महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वधामना पत्र दिनांक 11-7-13 के क्रम में आपके विद्यालय कवीस पब्लिक स्कूल, हल्द्वानी

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद _____ नैनीताल में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या 142 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उत्तम दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली के नियम-18 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।


Principal
Queen's Sr. Sec. School
Civil Lines, Haldwani

भवदीय


मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद - नैनीताल
उत्तराखण्ड